

दिनांक:-25 अप्रैल, 2019 को आहूत प्रधान सचिव. नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में माननीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारा O.A. No.-606/2018 में के पारित आदेश के आलोक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुपालन में चयनित मॉडल शहर की प्रथम बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार :-

I. उद्देश्य :- माननीय NGT, नई दिल्ली द्वारा O.A. No.-606/2018 में दिनांक-15.03.2019 को पारित आदेश के आलोक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016, Construction and Demolition Waste नियमावली, 2016 इत्यादि के सभी प्रावधानों को प्रथम चरण में तीन मुख्य नगरों (Cities) तथा तीन मुख्य शहरों (Towns) में पूर्ण रूप से लागू करना है।

विभागीय अधिसूचना सं.-1952, दिनांक-05.04.2019 के द्वारा राज्य के तीन मुख्य नगरों (Cities) के रूप में (i) मुजफ्फरपुर (ii) मुंगेर (iii) बिहारशरीफ को तथा तीन मुख्य शहरों (Towns) के रूप में (i) सुपौल (ii) बोधगया (iii) राजगीर को अधिसूचित किया गया है।

II. अनुपालन :- इन सभी छः शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुसार निम्नांकित कार्यों को आगामी छः माह के अंदर पूर्ण किया जाना है :-

- (i) शत प्रतिशत वार्डों के घरों से कचरे का पृथक्कीरण एवं पृथक्कृत कचरे को Door to Door संग्रहण एवं परिवहन।
- (ii) ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए गीले कचरे का Compost Pit के माध्यम से एवं सूखे कचरे का प्रसंस्करण के लिए Material Recovery Facility (MRF) अधिष्ठापन के लिए भूमि का अधिग्रहण या क्रय कर Compost Pit एवं MRF का निर्माण सुनिश्चित करवाना।
- (iii) सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रसंस्करण हेतु भूमि को Lease या किराया पर EOI के माध्यम से उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- (iv) Sanitary Landfill के लिए सरकारी भूमि का चयन। सरकारी भूमि अनुपलब्धता की स्थिति में रैयती भूमि का क्रय/अधिग्रहण।
- (v) Legacy Waste (विरासत अपशिष्ट) को चिन्हित कर निपटान हेतु एजेंसी का चयन कर प्रसंस्करण सुनिश्चित कराना।
- (vi) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (C & D Waste) का संग्रहण, परिवहन एवं प्रसंस्करण हेतु एजेंसी के माध्यम से कार्य प्रारंभ करना।

बैठक की कार्यवाही :-

सर्वप्रथम प्रधान सचिव के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 (SWM Rules, 2016) के क्रियान्वयन के लिए माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), नई दिल्ली के द्वारा दिनांक-15.03.2019 के पारित आदेश की चर्चा की गई। तदुपरांत बैठक की कार्यवाही शुरू की गई।

कार्यवाही की मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-

1. प्रधान सचिव द्वारा सभी 06 शहरों के पदाधिकारियों से निकाय में चल रहे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य की समीक्षा की गई, जिसमें संबंधित नगर आयुक्त एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई :-

क्र. सं.	शहर का नाम	कुल वार्डों की संख्या	वर्तमान में कचरे का पृथक्कीकरण वार्डों की सं.	डोर टू डोर कचरा उठाव वार्डों की सं.	शेष वार्डों की सं.		लक्ष्य प्राप्ति का समय	कंपोस्टिंग प्रसंस्करण की स्थिति (हाँ/नहीं)
					कचरे का पृथक्कीकरण वार्डों की सं.	डोर टू डोर वार्डों की सं.		
1.	मुजफ्फरपुर नगर निगम	49	39	39	10	10	मई, 19	हाँ
2.	मुंगेर नगर निगम	45	30	30	15	15	मई, 19	हाँ
3.	बिहारशरीफ नगर निगम	46	0	46	46	0	मई, 19	नहीं
4.	सुपौल नगर परिषद	28	0	28	28	0	मई, 19	हाँ
5.	राजगीर नगर पंचायत	19	2	19	17	0	मई, 19	हाँ
6.	बोधगया नगर पंचायत	19	11	11	8	8	मई, 19	हाँ

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि शेष बचे हुए वार्डों में शत-प्रतिशत कचरे का पृथक्कीकरण तथा डोर टू डोर कचड़ा उठाव का कार्य मई, 2019 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(अनुपालन :- चयनित मॉडल नगर निकाय/संबंधित जिला पदाधिकारी)

- सभी शहरों के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कचरे का प्रसंस्करण हेतु भूमि अधिग्रहण/उपलब्धता होने की जानकारी दी गई। प्रधान सचिव महोदय द्वारा सभी शहरों को कम्पोस्टिंग पीट का निर्माण मई माह तक सम्पन्न कराने का निदेश दिया गया। तदुपरान्त सभी शहरों के पदाधिकारियों द्वारा तय समय सीमा में निर्माण कराने की सहमति दी गई।

(अनुपालन :-सभी चयनित मॉडल नगर निकाय/संबंधित जिला पदाधिकारी)

- नगर आयुक्तों द्वारा अधिग्रहित प्रसंस्करण भूमि का बाउंड्री दीवाल एवं अन्य कार्यों पर होने वाले व्यय की जानकारी मांगी गई। प्रधान सचिव महोदय द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया कि नगर निकाय अपने आंतरिक राजस्व की राशि से बाउंड्री दीवाल, जमीन का भराव आदि कार्यों पर व्यय करेंगे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कम्पोस्टिंग पीट/मैटेरियल रिकवरी फौंसिलिटी (MRF) एवं संबंधित उपकरण पर व्यय के लिए विभागीय स्तर से निर्मित संशोधित Model Estimate के अनुसार विभागीय राशि का नियमानुकूल व्यय किया जायेगा। संशोधित Model Estimate की प्रति विभाग द्वारा एक सप्ताह के अंदर भेजा जायेगा।

(अनुपालन :-सभी चयनित मॉडल नगर निकाय/संबंधित जिला पदाधिकारी)

- प्रधान सचिव महोदय द्वारा सभी चयनित मॉडल शहरों को साफ-सफाई एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निर्धारित उपकरण की समीक्षा के दौरान सफाई एवं प्रबंधन उपकरण कमोबेश सभी निकायों में उपलब्धता की बात बतायी गई। पूर्व के बैठकों में निकाय अन्तर्गत वाहनों को कंपार्टमेंट कराने के लिए निदेश दिया गया था। परन्तु कुछ ही निकायों ने इसकी पुष्टि की। शेष निकायों को वर्तमान में उपलब्ध वाहनों का सूखा एवं गीला कचरा के लिए वाहनों के बीच कंपार्टमेंट बनवाया जाय। Source Segregation के लिए प्रयुक्त दो डस्टबीन हरा एवं नीला कुछ निकायों में खरीदने की बात बतायी गई। निदेश दिया गया कि डस्टबीन का क्रय GEM Portal से किया जा सकता है, परन्तु आदर्श आचार संहिता के कारण इसे लाभुकों में बाँटा नहीं जा सकता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शेष उपकरण एवं उपस्कर की खरीददारी वर्तमान में किया जा सकता है।

(अनुपालन :-सभी चयनित मॉडल नगर निकाय/संबंधित जिला पदाधिकारी)

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में डोर टू डोर कचरे का पृथक्कीकरण, पृथक्कीकृत कचरे का परिवहन एवं प्रसंस्करण कार्य हेतु NULM के तहत निकाय में उपलब्ध Self Help Groups (SHGs)/Federation की महिलाओं का क्षमतावर्द्धन कर कार्य में लगाया जाना है। इसके लिए बिहारशरीफ नगर निगम की तरह प्रति स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 200 रु. (दो सौ रुपये) प्रतिदिन के हिसाब से

मानदेय दिया जा सकता है। इन महिलाओं को Door to Door जाकर कचरे का Source Segregation के लिए प्रचार-प्रसार करने हेतु भी लगाया जा सकता है।

(अनुपालन :-सभी चयनित मॉडल नगर निकाय/टीम लीडर, एन.यू.एल.एम.)

6. प्रधान सचिव महोदय द्वारा NULM के टीम लीडर को इन सभी 06 शहरों को City Mission Manager को जिम्मेवारी देते हुए संबंधित शहरों Self Help Groups की महिलाओं का क्षमतावर्द्धन एवं प्रचार-प्रसार के लिए निदेशित किया गया। इस मॉडल के विकसित हो जाने पर शेष निकायों में भी लागू कराने का सुझाव दिया गया।

(अनुपालन :-सभी चयनित मॉडल नगर निकाय/टीम लीडर, एन.यू.एल.एम.)

7. मुजफ्फरपुर नगर निगम के नगर आयुक्त को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में डोर टू डोर कचरा पृथक्कीकरण, परिवहन एवं प्रसंस्करण में लगे हुए कर्मियों की संख्या की गणना कर एक मॉडल एवं वार्डवार कर्मियों की संख्या एवं भुगतान का प्रारूप तैयार कर विभाग को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। इस मॉडल के आधार पर राज्यस्तर से सभी निकायों के लिए कचरा प्रबंधन में कर्मियों के भुगतान पर सहमति प्रदान किया जाना है।

(अनुपालन :-नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम)

8. सभी चयनित शहरों द्वारा सेनेटरी लैंडफिल के लिए विशिष्टतापूर्ण भूमि उपलब्ध होने की संपुष्टि की गई। मुजफ्फरपुर नगर निगम द्वारा सेनेटरी लैंडफिल के लिए विशाखापट्टनम के तर्ज पर DPRs बनाने की बात रखी गई। तत्पश्चात् प्रधान सचिव महोदय द्वारा शेष निकायों को भी सेनेटरी लैंडफिल का DPRs मुजफ्फरपुर नगर निगम से सहयोग लेकर तैयार करने का निदेश दिया गया। छोटे शहरों को सेनेटरी लैंडफिल के लिए DPRs एवं तकनीकी सहायता के लिए नामामि गंगे के Environmental Expert को नामित करने का निदेश विशेष सचिव श्री संजय दयाल को दिया गया।

(अनुपालन :-नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर/Team Leader Namami Gange)

9. बैठक में मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ नगर निगम द्वारा C & D Waste का EOI प्रकाशित होने की सूचना दी गई। प्रधान सचिव द्वारा EOI को ज्यादा से ज्यादा इस कार्य में संलग्न एजेंसियों तक भेजने में तकनीकी सहायता हेतु टीम लीडर SBM को नामित किया गया।

(अनुपालन :-नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर/Team Leader, SBM)

10. सभी नगर निकायों को Bulk Garbage Generator एवं शहर के रिसाईक्लर (कबाड़ीवाला) को चिन्हित कर उनके साथ बैठक आयोजन कर Bulk Garbage Generator को अपने परिसर में कचरे का प्रसंस्करण प्लांट स्थापित करने एवं कबाड़ी वाले को सूखे कचरे को क्रय करने के लिए दर तय करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :-सभी चयनित मॉडल नगर निकाय/संबंधित जिला पदाधिकारी)

11. Material Recovery Facility Centre पर शहर में उपलब्ध रैगपीकर/वेस्ट पीकर/कचरा चुनने वाले/स्वयं सहायता समूह (SHGs) को नामित करते हुए उनका ID-Card निकाय द्वारा उपलब्ध कराकर एवं Safety के उपकरण जैसे-Hand Gloves, Shoes, Dress, Face Mask आदि उपलब्ध कराकर उन्हें सूखे कचरे का प्रसंस्करण कराये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :-सभी चयनित मॉडल नगर निकाय/संबंधित जिला पदाधिकारी)

12. बैठक में उपस्थित बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा सभी शहरों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, 2016 एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, 2016 का वार्षिक प्रपत्र फार्म-IV एवं फार्म-V का अनुपालन 30 मई, 2019 तक सभी नगर निकायों को सीधे राज्य प्रदूषण बोर्ड के Email-

bspcb@yahoo.com पर भेजने, साथ ही विभाग को भी प्रतिलिपि भेजने करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :-सभी चयनित मॉडल नगर निकाय/संबंधित जिला पदाधिकारी)

13. बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा सभी नगर आयुक्तों एवं कार्यपालक पदाधिकारी को सुझाव दिया गया कि शहरों में सरकारी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम से निकलने वाला बायोमेडिकल कचरा नगर निकाय के वाहनों द्वारा नहीं लिया जायगा। अगर कोई अस्पताल या नर्सिंग होम नगरपालिका क्षेत्र में Bio-medical Waste फेंकते पाये जाते हों, तो बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड को भी संसूचित किया जाय।

(अनुपालन :-सभी चयनित मॉडल नगर निकाय/संबंधित जिला पदाधिकारी/बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड)


14. सभी मॉडल शहरों को निगरानी के लिए प्रत्येक 15 दिनों पर VC के माध्यम से प्रधान सचिव महोदय द्वारा अनुश्रवण किया जायगा। साथ ही निकाय भौतिक कार्य प्रगति का साप्ताहिक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।
मॉडल शहरों का Whatsaap Group के जरिए विभिन्न निकायों में चल रहे Best Practice को Share करने का भी सुझाव दिया गया है। इसके लिए PMU को एक Model Whatsapp Group तैयार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :-सभी चयनित मॉडल नगर निकाय/संबंधित जिला पदाधिकारी/SBM-PMU)

15. प्रधान सचिव महोदय द्वारा सभी Model शहरों में कार्यों के अनुश्रवण हेतु एक Nodal पदाधिकारी के रूप में निम्न तालिका के अनुसार पदाधिकारियों को नामित किया गया है :-

क्र.सं.	मॉडल शहर का नाम	नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित	मोबाइल सं.
1.	मुजफ्फरपुर नगर निगम	श्री संजय कुमार, विशेष सचिव	8860572708
2.	मुंगेर नगर निगम	श्री के.डी. प्रोज्जवल कुमार, उप सचिव	7903161005
3.	बिहारशरीफ नगर निगम	श्री विनोदानंद झा, अपर आयुक्त	9470488552
4.	सुपौल नगर परिषद	श्री जयप्रकाश मंडल, विशेष सचिव	9431229390
5.	राजगीर नगर पंचायत	श्रीमति इंदु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी	7631666015
6.	बोधगया नगर पंचायत	श्री अरविंद झा, संयुक्त सचिव	9431277900

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।


31/4/2019


प्रधान, सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-03/SBM-01-11/2019

1209

दिनांक :- 06.11.19

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/श्री संजय दयाल, विशेष सचिव/श्री जयप्रकाश मंडल, विशेष सचिव/श्री विनोदानंद झा, अपर आयुक्त/श्री अरविंद झा, संयुक्त सचिव/श्री के.डी. प्रोज्जवल, उप सचिव/नोडल पदाधिकारी, SBM/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत/Team Leader State PMU, SBM/Team Leader, SPMG/Team Leader, NULM बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित


31/4/2019
प्रधान सचिव
AS